प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 21 अप्रैल, 2025**

विषय:-जनपद वाराणसी के सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में डायनमिक फसाड लाइट के कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-788/वी.आई.पी./मं.प.स./2025 दिनांक 08.04.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि जनपद वाराणसी के सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में डायनमिक फसाड लाइट के कार्य हेतु पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव दिनांक 01.03.2024 के क्रम में उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 (यू0पी0एस0टी0डी0सी0) को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए पर्यटन अनुभाग अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-141/2024/आई/522202/001-41-2002-001-62-2024-सीएन-1796959 दिनांक 16.03.2024 द्वारा रू0 865.22 लाख (रूपये आठ करोड़ पैसठ लाख बाइस हजार मात्र) (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रायोजना हेतु प्रथम किश्त की धनराशि रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) अवमुक्त की गयी थी।

3- प्रकरण में नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 (यू0पी0एस0टी0डी0सी0) द्वारा अभी तक प्रश्नगत योजना का कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने के कारण शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व में नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 (यू0पी0एस0टी0डी0सी0) के स्थान पर उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 16.03.2024 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) को वर्तमान में नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट ''http://shasanadesh.up.gov.in" से सत्यापित की जा सकती है । u

http://shasanadesh.up.gov.in

(यू0पी0पी0सी0एल0) के पक्ष में स्थानान्तरित करने एवं अवमुक्त धनराशि रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) पर अब तक अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराने एवं शासन को तद्नुसार अवगत कराये जाने तथा तथा वर्तमान में नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0) से परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष लागत पर कार्य किये जाने के सम्बन्ध में सहमति/आगणन प्राप्त कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, वाराणसी।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 (यू0पी0एस0टी0डी0 सी0), लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 (यू0पी0पी0सी0एल0), लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9. उप निदेशक पर्यटन, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
10. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट ''http://shasanadesh.up.gov.in" से सत्यापित की जा सकती है । u

http://shasanadesh.up.gov.in